उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
पत्र संख्या–1/2026/बी-1-56/दस-2025
लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी, 2026
कार्यालय ज्ञाप

विषय: SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों का परीक्षण ।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम त्रैमास से किया जा रहा है। इस प्रणाली में केंद्र सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के केन्द्रांश हेतु mother sanction निर्गत की जाती है जिसके सापेक्ष निर्धारित अनुपात में राज्यांश को सम्मिलित करते हुये संपूर्ण धनराशि की वित्तीय स्वीकति निर्गत की जाती है। इस सम्बन्ध में समस्त वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभागों को निर्देश दिये जाते है कि SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तावों को व्यवहृत करते समय निम्नलिखित विन्दुओं का ध्यान रखा जाये-

(i) केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा केन्द्रांश हेतु निर्गत mother sanction की प्रतिलिपि प्रशासकीय विभाग द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध करा दी गयी है।

(ii) SNA SPARSH प्रणाली में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार के खाते में अग्रिम रूप से निर्गत नहीं की जाती है अत: mother sanction के सापेक्ष केन्द्रांश के राज्य सरकार के खाते में जमा होने की पुष्टि कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) यदि किसी योजना के लिये पूर्व में खोले गये SNA खाते में कोई धनराशि अवशेष हैतथा केन्द्रीय , मंत्रालय द्वाराmother sanction निर्गत कर दी गयी है तो ,mother sanction के सापेक्ष राज्यांश सहित वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के लिये SNA खाते में अवशेष राशि को जमा कराये जाने की शर्त न लगायी जाये। SNA खातों में पड़ी अवशेष धनराशियों में से केन्द्रांश एवं राज्यांश को क्रमश : भारत सरकार की समेकित निधि एवं राज्य सरकार की समेकित निधि में जमा कराये जाने की कार्यवाही पृथक से कराई जाय।

(iv) वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव FINRMS के माध्यम से ही व्यवहृत किये जायेंगे ।

समस्त वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभागों से यह अपेक्षित है कि वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तावों का उपरोक्तानुसार त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करायें।

भवदीया,

डॉ0 सारिका मोहन
सचिव,वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

पत्रसं0-1/2026/बी-1-56 (1)/दस-2025, तद्दिनांक-:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(i) समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(ii) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०, शासन।

(iii) निजी सचिव, सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०, शासन।

(iv) समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण), उ०प्र०, शासन।

(v) उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव,वित्त।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।